न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 3/2018/आवेदन 136 एलआर एक्ट

1. लादूसिंह पुत्र लिखमाराम
2. गणेशराम पुत्र मोतीराम
3. सागरमल पुत्र भींवाराम
4. श्योजी पुत्र नाथूराम
5. मोहनलाल पुत्र चतरूराम
6. गोविन्दा पुत्र चेताराम
7. बनवारी पुत्र रामेश्वर
8. सायर पुत्र मांगूराम
9. बिखल पुत्र जगन्नाथ
10. रूघनाथ पुत्र बिडदूराम
11. सरदार पुत्र रामरतन

समस्त जाति जाट निवासीगगण बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. **श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम, वकील प्रार्थीगण की ओर सें।**

नि र्ण य **दिनांक — 19.12.2019**

1. आवेदन का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पलसाना तससील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 1046 रकबा 4 बीघा किस्म गैरमुमकिन आबादी अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय सें पुख्ता मकानात का निर्माण कर आवास निवास करते आ रहे है तथा इसी भूमि पर राजकीय उच्च्च प्राथमिक विद्यालय बधाला की ढाणी का भवन आदि बने हुए है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1046 के दौराने सैटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 2951 रकबा 1.10 है0 कायम किये गये तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 2951 रकबा 1.10 हैक्टर नव सृजित ग्राम बधाला की ढाणी पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1046 संपूर्ण आबादी से परिवर्तन होने के कारण व संपूर्ण भूमि आबादी में उपयोगग किये जाने के कारण इसकी किस्म गै0मु0 आबादी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

भूमि थी परन्तु भ–प्रबंधक कार्यवाही उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2951 की किस्म गै0मु0बाड़ा अंकित कर दी गई जिससें इस भूमि पर आवास निवास कर रहे प्रार्थीगण को उचित लाभ व पट्टा नहीं मिल पा रहा है इसलिए वर्तमान खसरा नम्बर 2951 वाके ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। सरपंच ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसें बादसुनवाई स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2951 वाके ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें खसरा नम्बर 2951 वाके ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की किस्म गैरमुमकिन बाड़ा के स्थान पर गै0मु0आबादी दर्ज करने की अभिशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों सें स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2951 की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः **प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बधाला की ढाणी पटवार हल्का पलसाना तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 2951 रकबा 1.10 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner